

2.8 तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित न करना

तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को अपने सेवा-पद पर किसी प्रकार के दावे का हक प्राप्त नहीं है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामित नहीं करना चाहिए।

(का. ज्ञा. सं.-12011/12/82-रा. भा. (घ) दिनांक 8-2-1984)